

# Ch. Charan Singh University, Meerut

(Formerly Meerut University)

STATEMENT OF MARKS OF B. A. PART - III (T.D.C.) EXAMINATION YEAR 1999

Sl. No. 16202

No. 99/

0163

Roll No. : A 798529

Name : Ved Prakash

College : E.M. Jain College, Saharanpur



Enrolment No. : M 9620150

Father's Initial : SR

Name of Subjects	Code Number	Max. Marks Theory	Max. Marks Practical	Marks Obtained					Result		
				Theory Papers				Practical		Grand Total	
				I	II	III	Total				
Defence Studies	301/302/302P	70	30								
Drawing & Painting	303/304/P	40	80								
Economics	305/306	100	-								
Education	307/308	100	-								
English	309/310	100	-	14	17	-	31	-	31		
Geography	311/412/413/312P	70	30								
Hindi	313/314	100	-	37	29	-	66	-	66		
History	315/316	100	-	25	22	-	47	-	47		
Home Science	317/318/318P	70	30								
Functional English	319/320/320P	70	30								
Music	345/346/347/348P	30	70								
Mathematics	328/327/328	100	-							II <sup>nd</sup>	
Philosophy	324/325	100	-							G-2	
Political Science	338/339	100	-							GD-1	
Psychology	340/341/341P	70	30								
Sanskrit	330/331	100	-								
Sociology	332/333	100	-								
Statistics	321/322/323P	70	30								
Urdu	308/337	100	-								
Marks of Part III Exam		300							144		
Marks of Part I & II E		700							305		
Total Marks of Part I & II & III		1000							449		

Signature of Writer

Signature of Checker

Dated: 18 JUL 1999

*Handwritten signatures and stamps*

*Handwritten signature and stamp*

- निर्देशिका में सम्मिलित निर्देशित विषयों का विवरण**
- परीक्षा होने के लिए प्रत्येक मुख्य विषयों, उपसहस्रभाग कोर्स तथा तृतीयोपास्य कोर्स की विहित एवं प्रावधानमक परीक्षा में प्रत्येक-प्रत्येक न्यूनतम 33 अंकों का अंक प्राप्त करना है। प्राधान्य-भाग कोर्स के प्रत्येक मुख्य विषयों में छोटे-छोटे उपसहस्रभाग कोर्स के अंकों को नहीं जोड़े जायेंगे। परन्तु तृतीयोपास्य कोर्स में जोडनी है।
  - यदि परीक्षार्थी किसी एक प्राधान्यमक परीक्षा में अलग-अलग (जहाँ भी हो) उपसहस्रभाग उपस्थित न हों तो वह उस भाग/उप-भाग परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जायगा।
  - मुख्य परीक्षा के दिने जहाँ वे परीक्षार्थी होंगे जो कुछ भाग/उप-भाग की परीक्षा के पूर्ण विषय में 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने विषयों में 33 प्रतिशत अंक तक अधिक अंक प्राप्त कर लेता है। वह 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विषयों के एक प्रश्न-पत्र अथवा सभी प्रश्न-पत्रों में मुख्य परीक्षा दे सकता है। मुख्य परीक्षा के दिने जहाँ परीक्षार्थी उपस्थित उपस्थित की अंकों प्राप्त करने में निर्दिष्ट छत्र के रूप में प्रवेश करने का भी अधिकार है।
  - प्रत्येक 5 अंकों तक जो ही विषय में दिया जा सकता है, यदि किसी भाग/उप-भाग की परीक्षा में सम्पूर्ण कोर्स न्यूनतम निर्दिष्ट योग से 3 अंक तक कम है। (किसी विषय/उप-भाग) परीक्षा में अंकों अंकों का मात्र 3 प्रत्येक तक ही दिये जा सकते हैं। कभी सुझाव का दिने अधिकतम 3 प्रत्येक दिये जायेंगे। सुझाव-मुख्य विषयों में नहीं जोड़े जायेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी को एक वर्ष की परीक्षा के मुख्य प्रश्नपत्रों का योग निर्दिष्ट न्यूनतम योग से 3 अंक तक कम हो तो उसे 3 प्रत्येक तक दिये जा सकते हैं।
  - कभी का निर्धारण अधिकतम वर्ष की परीक्षा में प्रथम अंकी 80% द्वितीय अंकी 45% तृतीय अंकी 33% होगा।
  - असाध्य असाध्य के प्रतिष्ठान वर्ष के अनुत्तीर्ण छात्र/मुख्य परीक्षा के जहाँ छात्र प्राधान्यमक परीक्षा के लिए प्रवेशार्थी जहाँ नहीं होंगे।
  - असाध्य/प्रथम वर्ष निर्दिष्ट पूर्ण अंक तकिया में सही अंक अथवा परीक्षाफल में किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाने पर विद्यार्थी/छात्र के गोपनीय विवरण के अनुसार जाँच की जायगी/प्राधान्य/अंकों ही प्राप्त होंगे।